स्थानीय निकायों
पर
वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

बिहार सरकार

विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन	-	v
सामान्य रूपरेखा	-	vii
भाग – अ		
अध्याय – I पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन मामलों की एक सामान्य रूपरेखा		
परिचय	1.1	1
राज्य की रूपरेखा	1.1.1	1
संगठनात्मक ढाँचा	1.2	2
पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली	1.3	2
कार्यों, निधियों व कर्मियों का प्रतिनिधायन	1.3.3	4
विभिन्न समितियों का गठन	1.4	5
लेखापरीक्षा व्यवस्था	1.5	7
लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुक्रिया	1.6	10
जवाबदेही तंत्र	1.7	13
वित्तीय प्रतिवेदन मामलें	1.8	15
निधियों के स्रोत	1.8.1	15
राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं	1.8.2	17
15वीं वित्त आयोग की अनुशंसाएं	1.8.3	18
पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखाओं का संधारण	1.8.4	19
ए.सी/डी.सी बिलों से संबंधित मामलें	1.8.5	21
लेखापरीक्षा का प्रभाव	1.8.6	22
अध्याय – II अनुपालन लेखापरीक्षा		
पंचायती राज विभाग		
राजस्व की हानि	2.1	23
सरकारी धन का दुर्विनियोजन	2.2	24
दुकानों/हॉल के अनियमित आवंटन के माध्यम से एक व्यक्ति को अनुचित लाभ	2.3	26
अनियमित/कपटपूर्ण भुगतान	2.4	28
पुरानी दरों पर किराये की वसूली के कारण राजस्व से वंचित	2.5	30
सरकारी धन का दुर्विनियोजन	2.6	32

भाग – ब		
अध्याय – III **शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन मामलों की एक सामान्य रूपरेखा**		
परिचय	3.1	35
बिहार में शहरी स्थानीय निकाय	3.1.1	35
राज्य की रूपरेखा	3.1.2	36
शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढाँचा	3.2	36
शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली	3.3	37
कार्यों, निधियों व कर्मियों का प्रतिनिधायन	3.3.2	38
विभिन्न समितियों का गठन	3.4	39
लेखापरीक्षा व्यवस्था	3.5	41
लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुक्रिया	3.6	44
जवाबदेही तंत्र	3.7	46
निधियों के स्रोत	3.8.1	50
15वीं वित्त आयोग की अनुशंसाएं	3.8.2	52
राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं	3.8.3	52
अभिलेखों का संधारण	3.8.4	53
बैंक समाधान विवरणी का नहीं बनाया जाना	3.8.5	53
क्षमतावर्द्धन	3.8.6	54
ए.सी/डी.सी बिलों से संबंधित मामलें	3.8.7	54
लेखापरीक्षा का प्रभाव	3.8.8	55
अध्याय – IV **अनुपालन लेखापरीक्षा**		
नगर विकास एवं आवास विभाग		
जुर्माना राशि की वसूली नहीं होने के कारण राजस्व की हानि	4.1	57
उपभोक्ता शुल्क की वसूली नहीं होने से राजस्व की हानि	4.2	59
आंतरिक नियंत्रण की कमी के कारण अधिक भुगतान	4.3	60

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विषय	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ सं.
2.1	जिला परिषद्, बेगूसराय को राजस्व की हानि	2.1	65
2.2 (अ)	अग्रिम अनुदान के बावजूद योजनाओं का निष्पादन न होना	2.6	67
2.2 (ब)	पूर्ण हुए कार्यों में अधिक भुगतान	2.6	68
2.2 (स)	अपूर्ण योजनाओं में निरर्थक व्यय व अधिक भुगतान	2.6	69
3.1	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों/विषयों की सूची	3.3.2 (i)	70
3.2	शहरी स्थानीय निकायों में कार्यकारी व तकनीकी कर्मियों के रिक्त पद	3.3.2 (iii)	71
3.3	बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं करना	3.8.5	72
-	संक्षिप्तियों की शब्दावली	-	73

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियों एवं शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अधीन पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग के संदर्भ में बिहार सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में सबंधित विभागों सहित राज्य के पंचायती राज सस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए मुद्दों के साथ–साथ वे मुद्दे भी जो पहले के वर्षों में ध्यान में आए, लेकिन जिन्हें पूर्व के प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया जा सका था, जहां भी आवश्यक थे, उन्हें भी शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए मानकों के अनुरूप संपादित की गई है।